

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India. क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली (दक्षिण). ई-नीलामी विक्री सूचना

परिसिद्ध-IV-A [नियम 8(6) एवं 9(1) का प्रावधान देखें] अचल सम्पत्तियों की विक्री हेतु विक्री सूचना. प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत ई-नीलामी विक्री सूचना।

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका रचनात्मक/भौतिक कब्जा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूत लेनदार) के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया है, नीचे वर्णित कर्जदार(रों) तथा जमानती(यों) से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बकायों की वसूली हेतु उसकी विक्री 25.11.2024 को "जहाँ है वहाँ है", "जो है वही है" तथा "जो कुछ भी है वही है" आधार पर की जायेगी।

25.11.2024 को आयोजित होने वाली ई-नीलामी (30 दिवसीय सूचना)

Table with 7 columns: क्र. शाखा का नाम, अधिकृत प्राधिकारी/शा.प्र., खाने का नाम, सम्पत्ति का विवरण तथा स्वामी का नाम, मॉ. वसूली का तिथि एवं बकाया राशि (रु. लाख में), कर्जों की तिथि एवं प्रकार, आरंभिक मूल्य (रु. लाख में), अंतिम मूल्य (रु. लाख में).

ई-नीलामी की तिथि: 25.11.2024, समय: 11:00 बजे दोपहर से 05:00 बजे सायं तक 10 मिनट के स्वतः विस्तार सहित

ईएमडी तथा दस्तावेज (ऑनलाइन) जमा करने की अंतिम तिथि तथा समय: 24.11.2024 को 04:00 बजे अप. तक। संविदाकार वेबसाइट: https://ebkgray.in/ पर पंजीकरण करेंगे तथा केवाईसी दस्तावेज जमा करेंगे और सेवा प्रदाता द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन के बाद एनईएफटी/आरटीजीएस/ ट्रांसफर/ (https://ebkgray.in/) से चालान उत्पन्न करने के माध्यम से Ebkgray ईएमडी वॉलेट में जमा करना होगा।

सफ्टवेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के तहत वैधानिक 30 दिनों की विक्री सूचना

कर्जदार/जमानती(यों)/बंधककर्ताओं को एतद्वारा ई-नीलामी की तिथि से पूर्व अचलतन ब्याज एवं अनुगामी ब्याज सहित उपयुक्त राशि अदा करने के लिये अधिसूचित किया जाता है जिसमें असफल होने पर सम्पत्ति की नीलामी/विक्री की जायेगी और शेष बकाया, यदि कोई हो, ब्याज तथा लागतों सहित वसूल किया जायेगा।

दिनांक: 19.10.2024. स्थान: नई दिल्ली. प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शे.का. दिल्ली (दक्षिण), नई दिल्ली

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India. क्षेत्रीय कार्यालय (सेंट्रल). ई-नीलामी विक्री सूचना

परिसिद्ध-IV-A [नियम 8(6) का प्रावधान देखें] अचल सम्पत्तियों की विक्री हेतु विक्री सूचना. प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत ई-नीलामी विक्री सूचना।

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका भौतिक/सांकेतिक कब्जा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्रतिभूत लेनदार के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया है, नीचे वर्णित कर्जदार(रों) तथा जमानती(यों) से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बकायों की वसूली हेतु उसकी विक्री 29.11.2024 को "जहाँ है जैसे है", "जो है वही है" तथा "जो कुछ भी है वही है" आधार पर की जायेगी।

29.11.2024 को नीलामी की जाने वाली सम्पत्तियों का विवरण (30 दिवसीय सूचना)

Table with 7 columns: क्र. शाखा का नाम, अधिकृत प्राधिकारी/शा.प्र., खाने का नाम, सम्पत्ति का विवरण तथा स्वामी का नाम, मॉ. वसूली का तिथि एवं बकाया राशि (रु. लाख में), कर्जों की तिथि एवं प्रकार, आरंभिक मूल्य (रु. लाख में), अंतिम मूल्य (रु. लाख में).

ई-नीलामी की तिथि: 29.11.2024, समय: 12:00 बजे दोपहर से 04:00 बजे सायं तक 10 मिनट के स्वतः विस्तार सहित

ईएमडी तथा दस्तावेज (ऑनलाइन) जमा करने की अंतिम तिथि तथा समय: 29.11.2024 को 04:00 बजे अप. तक। संविदाकार वेबसाइट: https://ebkgray.in/ पर पंजीकरण करेंगे तथा केवाईसी दस्तावेज जमा करेंगे और सेवा प्रदाता द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन के बाद एनईएफटी/आरटीजीएस/ ट्रांसफर/ (https://ebkgray.in/) से चालान उत्पन्न करने के माध्यम से Ebkgray ईएमडी वॉलेट में जमा करना होगा।

सफ्टवेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत वैधानिक 30 दिनों की विक्री सूचना

कर्जदार/जमानती(यों)/बंधककर्ताओं को एतद्वारा ई-नीलामी की तिथि से पूर्व अचलतन ब्याज एवं अनुगामी ब्याज सहित उपयुक्त राशि अदा करने के लिये अधिसूचित किया जाता है जिसमें असफल होने पर सम्पत्ति की नीलामी/विक्री की जायेगी और शेष बकाया, यदि कोई हो, ब्याज तथा लागतों सहित वसूल किया जायेगा।

दिनांक: 21.10.2024. स्थान: दिल्ली. प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शे. का. दिल्ली (सेंट्रल), चाँदनी चौक, दिल्ली

PNB Housing Finance Limited. अचल सम्पत्तियों की विक्री सूचना. वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ प्रवृत्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत अचल आस्तियों की विक्री हेतु विक्री सूचना।

केनरा बैंक Canara Bank. कब्जा सूचना अचल सम्पत्ति के लिए, धारा 13(4) के तहत. बैंक के प्रतिभूतिकरण व वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम प्रवृत्त हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम 8 के तहत एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार (रों) एवं जमानती (यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका भौतिक/सांकेतिक कब्जा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूत लेनदार) के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया है, नीचे वर्णित कर्जदार (रों) तथा जमानती (यों) से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बकायों की वसूली हेतु उसकी विक्री 13.10.2024 को "जहाँ है वहाँ है", "जो है वही है" तथा "जो कुछ भी है वही है" आधार पर की जायेगी।

पंजाब नैशनल बैंक Punjab National Bank. ई-नीलामी विक्री सूचना. मंडल कार्यालय- 01 पल्टन बाजार, पीएनबी हाउस, देहरादून, उत्तराखण्ड. अचल सम्पत्तियों का विवरण एवं सम्पत्ति स्वामी का नाम.

इंडियन बैंक Indian Bank. अचल कार्यालय गुवाहाटी. अचल सम्पत्तियों का विवरण एवं सम्पत्ति स्वामी का नाम.

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त बालोतरा. निविदा सूचना संख्या-03 वर्ष 2024-25. निविदा सूचना संख्या-03 वर्ष 2024-25.

केनरा बैंक Canara Bank. कब्जा सूचना अचल सम्पत्ति के लिए, धारा 13(4) के तहत. बैंक के प्रतिभूतिकरण व वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम प्रवृत्त हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम 8 के तहत एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार (रों) एवं जमानती (यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका भौतिक/सांकेतिक कब्जा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूत लेनदार) के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया है, नीचे वर्णित कर्जदार (रों) तथा जमानती (यों) से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बकायों की वसूली हेतु उसकी विक्री 13.10.2024 को "जहाँ है वहाँ है", "जो है वही है" तथा "जो कुछ भी है वही है" आधार पर की जायेगी।

"IMPORTANT" Whistler care is taken prior to acceptance of advertising copy. It is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications.

बैंक ऑफ बड़ौदा Bank of Baroda. राज नगर शाखा, सी-98, आरडीसी, राज नगर, गाजियाबाद-201001. अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस, परिसिद्ध-IV-A [नियम 6(2) & 8 (6) देखें]. प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 6(2) & 8(6) के तहत अचल सम्पत्तियों का विवरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस.

केनरा बैंक Canara Bank. कब्जा सूचना अचल सम्पत्ति के लिए, धारा 13(4) के तहत. बैंक के प्रतिभूतिकरण व वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम प्रवृत्त हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम 8 के तहत एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार (रों) एवं जमानती (यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका भौतिक/सांकेतिक कब्जा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूत लेनदार) के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया है, नीचे वर्णित कर्जदार (रों) तथा जमानती (यों) से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बकायों की वसूली हेतु उसकी विक्री 13.10.2024 को "जहाँ है वहाँ है", "जो है वही है" तथा "जो कुछ भी है वही है" आधार पर की जायेगी।